

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता
विभाजन

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 02/02/2026

19/10 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरुका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता
दिनांक की ओर से श्री आन्नद स्वरूप झोरड़ अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज
पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की
जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार
घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

1. वादी स. 1 बनवारीलाल को प्राप्त भूमि:-तहसील पीलीबंगा के चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 26/238 के किला न. 1/.084, 2 ता 4 की कुल 0.843 हैक्. नहरी कृषि भूमि तथा चक 33 एल.एल. डब्ल्यू के प.न. 33/229 के किला न. 13, 18, 23, 14/.017, 17/.017, 24/.017 की कुल .810 हैक नहरी
2. वादीगण स. 2/1 ता 2/7 को प्राप्त भूमि :-चक 23 जे. आर.के.ए. के प.न. 25/237 के किला न. 21/.221, 22/.220, 23/.221, 24/.103, 25/.077 की कुल 0.842 हैक नहरी कृषि भूमि तथा चक 33 एल. एल. डब्ल्यू के प.न. 33/229 के किला न. 15, 16, 25/.151, का कुल .657 हैक. नहरी व प.न. 33/230 के किला न. 5/.153 की .153 हैक दोनो पत्थरो की .810 हैक नहरी
3. वादी स. 3/1 ता 3/7 को प्राप्त भूमि :- चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 25/237 के किला न. 16/.129, 17/.154, 18/.154, 19/.154, 20/.154, 21/.032, 22/.033, 23/.032, की कुल 0.842 हैक नहरी कृषि भूमि तथा चक 33 एल.एल.डब्ल्यू के प.न. 33/230 के किला न. 3/.027, 4/215, .038, 5/.062, .038, 6, 7, की कुल .886 है. नहरी मय गैर मु. रास्ता
4. वादी स. 4 श्रवण कुमार को प्राप्त भूमि :- चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 26/238 के किला न. 1/.084, 8 ता 10 की कुल 0.843 हैक्. नहरी कृषि भूमि तथा चक 33 एल.एल. डब्ल्यू के प.न. 33/230 के किला न. 2/.175 .038, 3/.188 .038, 8/.227, 9/.220 की कुल .886 हैक्. नहरी मय गैर मु. रास्ता
5. वादी स. 5 मनोहरलाल को प्राप्त भूमि:-चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 26/238 के किला न. 1/.085, की कुल 0.085 हैक्. नहरी प.न. 25/238 के किला न. 4, 5/.203, .025, .025 की .506 हैक्. नहरी मय गैर मु. रास्ता खाला, प.न. 25/237 के किला न. 24/.150, 25/.151 .025 की .326 हैक्. नहरी मय गैर मु. रास्ता तीनों पत्थरो की कुल .917 हैक्. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता कृषि भूमि तथा चक 33 एल. एल. डब्ल्यू के प.न. 33/229 के किला न. 14/.236, 17/.236, 24/.236, 25/236 की कुल .810 हैक नहरी
6. प्रतिवादी स. 1 मन्जू प्रतिवादी स. 2 पवन कुमार, प्रतिवादी स. 3 प्रवीन कुमार, प्रतिवादी स. 4 सुशीला, प्रतिवादी स. 5 रेखा, प्रतिवादी स. 6

शु. प्रतिवादी रा. 7 सुनीता, प्रतिवादी रा. 8 अनमोल को प्राप्त भूमि—चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 25/237 के किला न. 1 ता 4, 5/228, 025, 6/.033, 7/.033, 8/.033, 9/.033, 10/.033 की कुल 1.430 हैक. अनकमाण्ड मय गैर मु. रास्ता तथा चक 33 एल.एल. डब्ल्यू के प.न. 32/230 के किला न. 4/215, 038, 5/215, 038, 6, 7 की कुल 1.012 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता व प.न. 33/230 के किला न. 1/.102, 8/.026, 9/.033, 10/.253 की 414 हैक. नहरी दोनों पत्थरो की 1.426 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी रा. 1 ता 8 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी रा. 4 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

7. प्रतिवादी रा. 9 पाना देवी को प्राप्त भूमि—चक 23 जे. आर. के. ए के प.न. 25/237 के किला न. 6/.195, 7/.220, 8/.220, 9/.220, 10/.220, 11/.088, 12/.066, 13/.066, 14/.066, 15/.066 की कुल 1.405 हैक. अनकमाण्ड नहरी कृषि भूमि तथा चक 33 एल.एल.डब्ल्यू के प.न. 32/229 के किला न. 14/2/038, 15, 16, 17/2/.051, 24, 25, की कुल 1.101 हैक. नहरी व प.न. 33/229 के किला न. 11/.228, .025, 20/.021 की .274 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता दोनों पत्थरो की 1.375 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

8. प्रतिवादी रा. 10 सरोज को प्राप्त भूमि—चक 23 जे. आर.के.ए के प.न. 25/237 के किला न. 11/.187, 12/.187, 13/.187, 14/.187, 15/.182, .025, 16/.099 .025, 17/.099, 18/.099, 19/.099, 20/.099 की कुल 1.455 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता कृषि भूमि तथा चक 33 एल. एल. डब्ल्यू के प.न. 33/229 के किला न. 12, 19, 20/.025, 21/.228, .025, 22 की कुल 1.244 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता व प.न. 33/230 के किला न. 1/.113, 2/.043 की .156 हैक. दोनों पत्थरो की 1.400 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि बग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02/02/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (आर.एस.)
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा